गोपनीय

अजय प्रकाश वर्मा,
मुख्य सचिव।

अर्द्धशासकीय पत्र सं० 2907/39(2)-12(5)-74
सतर्कता अनुभाग–2,
उत्तर प्रदेश शासन।
लखनऊ : दिनांक 19 नवम्बर, 2001

प्रिय महोदय,

श्री माता प्रसाद, तत्कालीन मुख्य सचिव के अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव को सम्बोधित गोपनीय आदेश संख्या 2020/39–2–12(5)-74, दिनांक 12 सितम्बर, 1995 (प्रति संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि उक्त पत्र में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि जिन प्रकरणों में सतर्कता जांच का औचित्य प्रतीत होता हो तो संबंधित प्रशासकीय विभाग अपने प्रस्ताव "राज्य सतर्कता समिति" के समक्ष सतर्कता विभाग के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इस शासनादेश में इस बात का भी उल्लेख है कि "राज्य सतर्कता समिति" के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग अपने प्रभारी मंत्री का अनुमोदन नहीं प्राप्त करेंगे। प्रायः यह देखने में आया है कि प्रशासकीय विभाग "राज्य सतर्कता समिति" को प्रस्ताव भेजने से पूर्व विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन अपनी पत्रावली में प्राप्त कर लेते हैं, यह प्रक्रिया उचित नहीं है।

2—प्रशासकीय विभाग को पुनः निर्दिष्ट किया जाता है कि वे संलग्न शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सतर्कता समिति को अपना प्रस्ताव सतर्कता विभाग के माध्यम से प्रस्तुत करें। यह भी सुनिश्चित करें कि राज्य सतर्कता समिति को भेजे जाने वाले प्रकरणों में विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त न किया जाय।

3—कृपया इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,
अजय प्रकाश वर्मा

अपर मुख्य सचिव, समस्त प्रमुख सचिवों, सचिवों,
विशेष सचिवों (नाम से)

पृष्ठांकन संख्या 2907(1)/39(2)12(5)-74, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त विभागाध्यक्ष,
(2) समस्त मण्डलायुक्त,
(3) समस्त जिलाधिकारी,
(4) समस्त पुलिस महानिदेशक,
(5) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,
(6) समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक,
(7) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
(8) समस्त पुलिस अधीक्षक,
(9) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
जे०पी० शर्मा,
उप सचिव।